

परिचय

Hkkx&1

fo"k; | ph

d0l 0

fooj . k

i "B | 0

1. i fj p; & bl eMvy ds ckjs e] i fj Hkk"kk,] | gksi | # dk; kly;
2. मैनुअल-1 : संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य
3. मैनुअल-2 : अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य।
4. मैनुअल-3 : विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण के माध्यम सम्मिलित हैं।
5. मैनुअल-4 : कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

| क्षि

मैनुअल में निम्न लिखित संक्षेप प्रयोग में लाए गए हैं:-

h-, -i h- (CAP)	समुदायिक कार्य योजनाएं
h-, -i h-MCyW (CAPW)	जलग्रहण क्षेत्र सुरक्षा कार्य
h-Ch-vks (CBO)	समुदाय आधारित संगठन
h-Mh-vks (CDO)	मुख्य विकास अधिकारी
h-Mh-, - (CDS)	समुदाय विकास विभाग
h-Mh-, - (CDS)	सेन्टर फॉर डिलपमेन्ट स्टडीज, नैनीताल
h-, Q- (CF)	समुदाय सुविधायें
h-MCyW (CW)	समुदाय कार्यकर्ता
Mh-i h-, e-; W (DPMU)	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई
, Q-I h- (FC)	वित्त समिति
, p-bz, -, - (HESA)	स्वास्थ एवं पर्यावरण स्वच्छता जागरूकता
vkbzCh-vkj-Mh- (IBRD)	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास दरें
vkbz, e-Mh-; Wi h- (IMDUP)	प्रबन्ध विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश
tzbz (JE)	कनिष्ठ अभियन्ता
d\$, -i h- (KAP)	ज्ञान दृष्टि और व्यवहार
, e-o bz (M&E)	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
, e-vkbz, - (MIS)	प्रबन्ध सूचना प्रणाली
, u-, Q-bz (NFE)	अनौपचारिक प्रीक्षा
, u-th-vks (NGO)	गैरसरकारी संगठन
vks , . M , e- (O&M)	संचालन व रख—रखाव
i h-, e-; W (PMU)	परियोजना प्रबन्धन इकाई
, -, - (SA)	सहयोगी संस्था
, -bz (SE)	वरिष्ठ अभियन्ता
, - bz bz (SEE)	स्थायित्व मूल्यांकन अभ्यास
, - vks (SO)	सहयोगी संगठन
, -, -, - (SSS)	स्वजल सहेली समूह
Vh-, y- (TL)	टोली नेता
Vh-vksVh- (TOT)	प्रीक्षकों का प्रीक्षण
; Wi h-, - , - (UPAA)	उत्तरप्रदेश प्रासन अकादमी, नैनीताल
; Wi h-vkj-MCyW, -bz, - (UPRWSES)	उत्तराखण्ड ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता
; W, -vkJ-MCyW, -bz, - (UARWSES)	उत्तराखण्ड ग्रामीण जल आपूर्ति एंप पर्यावरण स्वच्छता
oh-MCyW, -h- (VWSC)	ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति
MCyW Mh-vkbz (WDI)	महिला विकास पहल

b1 eMpyy ds ckjs ei-----

ज्ञान सदा से ही मनुष्य को शक्ति व सामर्थ प्रदान करने का एक बड़ा स्रोत रहा है। संपूर्ण जानकारियों से सम्पन्न नागरिक सार्वजनिक हित के लिये कार्य करने वाले संगठनों और संस्थानों के संसाधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है। सेवायें प्रदान करने वाली संस्थाओं में प्रयुक्त होने वाली प्रक्रिया की सही जानकारी के चलते ही इस ओर जनता की भागीदारी के आसार बढ़ जाते हैं। सूचना तक पहुंच सुशासन पारदर्शिता, उत्तरदेयता और भागीदारी को बनाने में चट्टान जैसी मजबूत नींव का कार्य करती है।

सूचना पाने का अधिकार ऐसा उपकरण है जिसके अन्तर्गत सरकारी कामकाज करने के तरीकों विशेष रूप से नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं से सम्बन्धित कार्य करने के विषय में ज्यादा पारदर्शिता प्रदान करता है। अतः सूचना पाने का अधिकार अधिनियम, 2005 की मूलभूत भावना को दृष्टि में रखते हुए, यह स्वीकार किया है कि नागरिकों को एक ऐसी मैनुअल उपलब्ध कराई जाए जिससे वे स्वजल परियोजना की दृष्टि और संगठनात्मक संरचना तथा स्वजल परियोजना द्वारा सम्पन्न कराई जा रही योजनाओं और परियोजनाओं विषयक सभी आव”यक जानकारी प्राप्त कर सकें। स्वजल परियोजना जैसे समुदायों द्वारा प्रेरित अधिक जन भागीदारी कराते कार्यक्रमों के प्रका”। में ऐसा करना और भी ज्यादा अनिवार्य हो जाता। इस मैनुअल में स्वजल परियोजना की सारी परमाव”यक जानकारी देने का प्रयास किया गया है। मैनुअल में स्वजल परियोजना की निम्नलिखित जानकारी उसके भिन्न-भिन्न अध्यायों में उपलब्ध कराई गई है।

- संगठन के कार्यों और उत्तरदायित्वों का ब्यौरा।
- इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की अधिकार और उत्तरदायित्व।
- नियम, विनियम, अनुदें”। मैनुअल और कार्यों को सम्पादित करने के लिए आलेख।
- नीति तैयार करने के सम्बन्ध में अथवा उसके क्रियान्वयन के बारे में जनता के सदस्यों अथवा उसके प्रतिनिधियों के विषय में पराम”। करने के प्रबन्धों का ब्यौरा।
- उन प्रलेखों की श्रेणियों का विवरण जिन्हें सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अपने पास अथवा अपने नियन्त्रण में रखा जाएगा।
- उन मंडलों, परिषदों समितियों और अन्य निकायों का ब्यौरा जो इसके अंग स्वरूप गठित की जाएगी।
- सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और उनका अन्य ब्यौरा।
- अधिकारियों और कर्मचारियों की निदें”। गवली।
- इसके अधिकारियों और कर्मचारियों को दी जाने वाली मासिक वृत्ति, जिसमें विनियमों में निहित क्षतिपूरण प्रदेय प्रणाली भी सम्मिलित है।
- प्रत्येक एजेन्सी को आबंटित बजटरायों (सभी योजनाओं, उनपर प्रस्तावित व्यय, और भुगतान की गई रायों की रिपोर्ट का ब्यौरा)
- उपदान कार्यक्रमों को पूरा करने का मानक।
- अपने कार्यों को सम्पादित कराने के विषय में निर्धारित किए सामान्यक।
- इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में उपलब्ध जानकारी।
- जानकारी प्राप्त के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा।

आशा की जाती है कि उपभोक्ता जल एवं स्वच्छता समितियों, पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े लोग, गैरसरकारी संगठन, पर्यावरण, स्वच्छता एवं स्वास्थ्यकी प्रोत्साहन से सम्बद्ध संस्थान, इन जानकारियों से लाभान्वित होंगे।

i fj Hkk"kk, a

इस परिषद के नियमों, यदि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो तो:-

- (अ) अधिनियम” का अर्थ सोसाइटीज रजिस्ट्रे”न ऐक्ट, 1860 (1860 का अधिनियम सं0 XXI) है।
(आ) 1) स्टेट वाटर एण्ड सैनीटेशन मिशन, उत्तराखण्ड रुरल वाटर सप्लाई एण्ड सैनीटेशन मिशन, (स्वजल परियोजना) होगा।

- (2) जिला जल एवं स्वच्छता मि"न (डी.डब्लू.एस.एम.) स्टेट वाटर एण्ड सैनीटेशन मिशन, उत्तराखण्ड रुरल वाटर सप्लाई एण्ड सैनीटेशन मिशन, (स्वजल परियोजना) द्वारा निर्धारित की गई नीतियों को क्रियान्वित करेगा तथा जिला स्तर पर ग्रामीण जल एवं स्वच्छता सेक्टर (आर.डब्लू.एस.एम.) को प्रबन्धन तथा ग्राम स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन में सहायता देगा। जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (डी.पी.एम.यू) राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्लू.एस.एम.) को प्रतिदिन आयोजित कार्यों में सचिवालयी और कार्यगत सहायता कराएगी। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्लू.एस.एम.) और जिला जल एवं स्वच्छता मि"न (डी.डब्लू.एस.एम.) दोनों समय—समय पर जारी किए गए सरकारी आदे"ों से विनियमित होंगे।
- (इ) 'कार्यकारी समिति' का अर्थ समिति द्वारा नियम 12 के अधीन गठित की गई कार्यदलित समिति होगा।
- (ई) 'अध्यक्ष' का अर्थ नियम 19में उल्लेखित राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्लू.एस.एम.) का अध्यक्ष होगा।
- (उ) 'कार्यकारी सचिव' का अर्थ नियम 20 में उल्लेखित कार्यकारी सचिव है। उत्तराखण्ड पेयजल आपूर्ति व पर्यावरण स्वच्छता मि"न के निर्दे"क ही राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्लू.एस.एम.) के कार्यादलित सचिव होंगे।
- (ऊ) 'निर्दे"क' का अर्थ स्टेट वाटर एण्ड सैनीटेशन मिशन, उत्तराखण्ड रुरल वाटर सप्लाई एण्ड सैनीटेशन मिशन, (स्वजल परियोजना) का कार्यकारी सचिव है। जिसे नियम 20 के अधीन उत्तराखण्ड शासनद्वारा नियुक्त किया गया हो।
- (ऋ) 'राज्य शासन' का अर्थ उत्तराखण्ड राज्य का शासन है।
- (ए) सचिवालय का संकेत निर्दे"क और समिति के कर्मचारियों की ओर है जो नियम 21 के अधीन राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्लू.एस.एम.) के सभी कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है।
- (ऐ) परियोजना का अर्थ ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता मि"न है जैसा कि उस राज्य शासन द्वारा बनाया गया है तथा उसमें परियोजना, जैसा कि उसे समय—समय पर की गई सभी समीक्षाओं के आधार पर राज्य शासन द्वारा सं"ोधित और परिवर्तित किया गया हो सम्मिलित हैं।
- (ओ) 'पेय जल विभाग' का अर्थ उत्तराखण्ड का पेय जल विभाग है।
- (औ) एक वचन सूचक संख्या में बहुवचन सूचक संख्यायें सम्मिलित हैं तथा इसका जातिक्रम भी।
- (अं) पुल्लिंग "ब्दों में स्त्रीलिंग भी सम्मिलित माना जाए।
- (अ:) 'पात्र ग्राम समुदाय' का अर्थ ऐसा गांव या बसावट है जिसको पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता योजना की आव"यकता हो और जो उस योजना की लागत में भागीदारी की भी इच्छा रखते हों ताकि यह योजना जो प्राविधिक दृष्टि से शक्य और आर्थिक दृष्टि से शक्य और दीर्घकाल तक चलने वाली हो।

Loty i fj ; kstuk dh tkudkj h rd i go

- पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन ने विज्ञप्ति सं. 2791 / उन्नतीस / 05-2 (पी.ई.वाई.) / 2005 दिनांक 27 जुलाई 2005 द्वारा परियोजना प्रबन्धन इकाई स्वजल परियोजना को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (जे) के अधीन सार्वजनिक एजेन्सी घोषित किया है।
- पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड ने विज्ञप्ति स. 2794 / उन्नतीस / 05-2 (पी.ई.वाई.) / 2005 दिनांक 27 जुलाई 2005 द्वारा निर्दे"क, स्वजल परियोजना, परियोजना प्रबन्धन इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को (सूचना पाने का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 1911) के अधीन अधिकार घोषित किया है।
- & पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन ने अपनी विज्ञप्ति संख्या 2755 / उन्नतीस (1) / 2005 दिनांक 20 जुलाई 2005 द्वारा निम्नलिखित ब्यौरे वाले नोडल अधिकारी पेयजल विभाग के लिए मनोनीत किया है।

vf/kdkj h dk uke	i n dk uke	nij Hkk"k a[; k
dk; kly;	fuokl	
श्री उदय राज सिंह	अपर सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन	0135-2710598 0135-2760890

- सूचना पाने का अधिकारी अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के अधीन निर्दे"क, स्वजल परियोजना ने अपने कार्यालय आदे"। सं 636 / वी.-146 / 2005 दिनांक 6 अगस्त 2005 द्वारा विभागीय अपील

अधिकारियों सहित सार्वजनिक सूचना राज्य और जिला स्तरों पर सार्वजनिक कार्यालयों में अधिकार घोषित किए हैं।

b| l | s vf/kd vkJ vU; tkudkfj ; ka i klr djus ds fy, D; k djl

इस मैनुअल में लिए गए विषयों पर और अधिक तथा अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए निम्न सूची में बताए व्यक्तियों से सम्पर्क करें:-

c& j kT; Lrj

dekd	vi hyh; vf/kdkjh	nij Hkk"k a[; k
1-	निदेशक परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना, प्रथम तल दि इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स बिल्डिंग, अपोजिट आई0एस0बी0टी0, देहरादून -248171	फोन : 0135-2643455, 2643380 फैक्स : 0135-2643381

I & j kT; Lrj

dekd	ykd I puk vf/kdkjh	nij Hkk"k a[; k
1.	इकाई समन्वयक (मानव संसाधन विकास) परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना, प्रथम तल दि इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स बिल्डिंग, अपोजिट आई0एस0बी0टी0, देहरादून -248171	फोन : 0135-2643455, 2643380 फैक्स : 0135-2643381

n& tui n Lrj

dekd	vi hyh; vf/kdkjh	nij Hkk"k a[; k
1.	इकाई समन्वयक (मानव संसाधन विकास) परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना, प्रथम तल दि इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स बिल्डिंग, अपोजिट आई0एस0बी0टी0, देहरादून -248171	फोन : 0135-2643455, 2643380 फैक्स : 0135-2643381

C. जनपद स्तर

क्रमांक	लोक सूचना अधिकारी	nij Hkk"k a[; k
1.	परियोजना प्रबंधक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना, विकास भवन, सर्वे चौक, देहरादून-248001	फोन / फैक्स-0135-2669925 (O)
2.	परियोजना प्रबंधक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना, डी0आर0डी0ए0 परिसर, विकास भवन, नई ठिहरी-249001	फोन / फैक्स 01376-233948 (O)
3.	परियोजना प्रबंधक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना, विकास भवन, पौडी गढ़वाल-246174	फोन / फैक्स 01368-222332 (O)
4.	परियोजना प्रबंधक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना, कोषागार रोड, विकास भवन, उत्तरकाशी-249193	फोन / फैक्स: 01374-222468 (O)
5.	परियोजना प्रबंधक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना, पांथरी भवन, निकट- जिला अस्पताल, गोपेश्वर- चमोली- 246401	फोन / फैक्स: 01372-252708 (O)

6.	परियोजना प्रबंधक, प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना, विकास भवन, रुद्रप्रयाग— 246171	जिला परियोजना फोन / फैक्स: 01364—233492 (O)
7.	परियोजना प्रबंधक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना, विकास भवन, रोशनाबाद, हरिद्वार—249401	फोन / फैक्स—01334—239023 (O)
8.	परियोजना प्रबंधक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना, भेषज इकाई, भीमताल, नैनीताल 263001	फोन / फैक्स: 05942—247272 (O)
9.	परियोजना प्रबंधक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना, विकास भवन, कमरा नं0—14, निचला तल, रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर 263153 फोन / फैक्स: 05944—245258	फोन / फैक्स: 05944—245258 (O)
10.	परियोजना प्रबंधक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना, कमरा नं0—409, विकास भवन, अल्मोड़ा 263601	फोन / फैक्स: 05962—232523 (O)
11.	परियोजना प्रबंधक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना, केदारालय बजेटी दोराहा, जी0आई0सी0 रोड पिथौरागढ 262501	फोन / फैक्स 05964—264107 (O)
12.	परियोजना प्रबंधक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, जी0आई0सी0 रोड, कनलगाँव, चम्पावत 262523	फोन / फैक्स 05965—230126 (O)
13.	परियोजना प्रबंधक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना, खेतवाल भवन, ब्लाक रोड, कठायतबाड़ा बागेश्वर 263642	फोन / फैक्स 05963 220248 (O)